(मौजिस्ट्रेट के समक्ष अनुसंधान,
प्रारम्भिक जांच अथवा परीक्षण में)

(बन्धनामा)

(देखिये धारायें 436, 437,438(3) तथा 449)

मैं, नाम स्थान का हूँ

के आरोप में आरोपित हूँ

कर के मैजिस्ट्रेट के सामने लाया हूँ

और मुझसे आपेक्षित किया गया है कि मै इस बात को प्रतिभूती दूं कि उपयुक्त न्यायालय में तथा किसी अन्य न्यायालय जिसमें अनुसंधान, परीक्षण अथवा जांच अन्तरित की जाये, सत्र न्यायालय में भी उपस्थित रहूगां । अतएव मै एतद्द्वारा अपने को बाध्य करता हूं कि उक्त आरोप की ट्रायल अथवा प्रारम्भिक जांच अथवा परिक्षण के प्रत्येक दिन मैं उक्त मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित रहूंगा और यदि मामला न्यायालय में परीक्षण के लिये भेंज दिया जाये तो आहूता किये जाने पर अपने विरूद्ध लागाये गये आरोपों का उत्तर देने के लिये उक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित एवं उपसजात होऊगा तथा अपने को बाध्य करता हूं कि ऐसा न करू तो रू

की धन राशि जब्ती के रूप में राज्य सरकार को दूंगा ।

दिनांक माह सन् ईसवी

नाम हस्ताक्षर

जमानत बंधनामा

नाम जामिन

1-

2-

नाम जामिन

उक्त का इसलिये कि वह अपने विरूद्ध अपराध का अनुसन्धान, जांच अथवा परीक्षण

के प्रत्येक दिन महोदय देहरादून

के न्यायालय में तथा अन्य किसी न्यायालय में अनुसंधान, जांच अथवा परीक्षण को अन्तरित किया जाये , सपस्थित होवेगा और मामला सत्र न्यायालय में परीक्षण के लिये भेज दिया जाये तो अपने विरूध लगे आरोपो का उत्तर देने के लिये न्यायालय समकक्ष उपस्थित और उपसजात होगा ।

एतद्द्वारा

इस संयुक्त रूपेण तथा पृथक रूपेण हमें और हममें से प्रत्येक अपने को प्रति-भू घोषित करता हूं/करते हैं और मैं /हम अपने को बाध्य करता हूं/करते है, ऐसा करने में यदि यह चूक करें तो मै/ हम रू

की धन राशि जब्ती के रूप में राज्य सरकार को दूंगा/देंगे ।

दिनांक माह सन् ईसवी

हस्ताक्षर

नोट : जामिन/जामिनान ने इस जमानतनामे को पढकर व समझ कर बशनाख्त श्री

करके समक्ष अदालत तशदीक किया ।